[सभापति महोदय]

वक्तव्य दीजिये। व्यवस्था की पहले ही काफी खड़ी बंध गई है, अब आप और ज्यादा मत बनाइये।

श्रीमती कृष्णा साही: मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं —

"बिहार में बेगूसराय जिला डाकघर के पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच वर्षों से वर्दी नहीं दिये जाने की वजह से क्षोभ फैल गया है। नयी वर्दी जाड़े के लिये जनवरी में पटना से आई परन्तु वितरण नहीं हुआ। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का वेतन पुनः नवम्बर माह से ही बदला है, परन्तु अभी तक उसे वेतन में नहीं जोड़ा गया है।"

(ii) NEED FOR RECONSIDERATION OF LIFTING OF BAN ON PROHIBITION BY THE BIHAR GOVERNMENT

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मैं नियम सं० 377 के तहत निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं—

"बिहार सरकार द्वारा मद्य निषेध पर से प्रतिबन्ध उठा दिया जाना गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इस से सब से ज्यादा हानि हरिजन आदिवासी एवं गरीब वर्ग के लोगों को होगी।

विधान सभा में सभी दलों के हरिजन आदिवासी सदस्यों ने मद्य-निषेध की मांग की थी। सभी महिला संगठनों ने भी मद्य-निषेध की मांग की थी। मद्य निषेध राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य मुद्दा रहा है तथा 1920 से 1942 तक इस को लेकर आन्दोलन चला। छात्र युवा आन्दोलन ने भी बिहार में नशाबन्दी को लेकर 'शराब की दुकानों पर धरना' का कार्यक्रम चलाया था। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में भी राज्यों को नशाबन्दी के सम्बन्ध में निर्देश दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ राजस्व प्राप्ति हेतु तथा शराब के ठेकेदारों को खुश करने के लिये पुनः बिहार में मद्य निषेध पर से प्रतिबन्ध हटा कर गरीबों को कंगाली के कुएं में ढकेल दिया है।

बिहार में शराबबन्दी से हरिजनों एवं गरीबों में खुशहाली की आशा आयी थी।

अतः बिहार सरकार से मांग है कि सरकार मद्य निषध पर से प्रतिबन्ध उठाने के निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा गरीबों के हित में तथा नैतिकता की दृष्टि से शराब पीने पर प्रतिबन्ध लगा दे।

(iii) IMPLEMENTATION OF THE PALEKAR WAGE TRIBUNAL'S RECOMMENDATIONS

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Sir, the Information and Broadcasting Minister has stated in Bombay on August 2 that the Government would not succumb to pressure in relation to the implementation of the Palekar Wage Tribunal's recommendations for journalists and non-journalists (Statesman, August 4, page 7.)

I would like to know as to the nature of the 'pressure' being brought on him.

I would also urge the Minister to state as to when these recommendations by the Palekar Tribunal will be placed on the Table of the House.

(iv) NEED TO RUSH RICE TO KERALA

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): The rice stock with the Kerala Government is fast dwindling and the Kerala Government requires one lakh tonnes of rice from the Central pool. The Chief Minister of Kerala has already sent one urgent message to the Food and Agriculture Minister of the Centre to this effect. Though the Union Agriculture Minister has already promised to despatch

one lakh tonnes from North India to Kerala, it was not implemented till this date. Moreover, two festivals are fast approaching, i.e. Ramzan and Onam. In view of this fact, the Kerala State Chief Minister has asked the Centre to rush one lakh tonnes of rice before August 15 from the central pool of Andhra. I therefore would like to urge upon the Union Agriculture Minister to look into this urgent matter immediately and concede the request of the Kerala Government.

Sir, we would like to have a reply from the Minister.

MR. CHAIRMAN: There is nothing to prevent the Minister concerned from giving a reply but, according to the rules, his presence or his replying to the points raised is not obligatory or compulsory.

(v) SUPPLY OF SUGAR TO FAIR PRICE SHOPS IN UTTAR PRADESH

श्री जनेश्वर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में सस्ते दाम की दुकानों पर चीनी का घोर अभाव हो गया है। वैसे तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश में चीनी की आपूर्ति भी संतोषजनक नहीं रही परन्तु इस समय प्रदेश में चीनी की मात्रा बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश सकार द्वारा बार-बार केन्द्र सरकार से अधिक चीनी मांगे जाने पर भी अभी तक चीनी भेजे जाने की व्यवस्था नहीं की गई है।

आयात की गई चीनी का जो कोटा उत्तर प्रदेश को दिया गया है उसे भी प्रदेश में ले आने में कठिनाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि वह बन्दरगाहों से अपना कोटा उठा कर ले जाए। बन्दरगाहों पर उत्तर प्रदेश सरकार के कोई साधन नहीं हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह अपने साधनों से चीनी उत्तर प्रदेश में पहुंचाये। यदि ऐसा नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार का खर्चा बहुत बढ़ जायेगा और इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। साथ ही साथ काफी देर भी होगी।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त मात्रा में और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार चीनी वहां पहुंचाई जाए। कुछ ही दिनों में मुसलमानों का ईद का त्योहार आ रहा है यदि चीनी शीघ्रातिशीघ्र नहीं पहुंचाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बिना सेवइयों और चीनी के ही ईद गुजारनी पड़ेगी।

(vi) REPORTED FAST-UNTO-DEATH BY THE REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL FEDERATION OF BLIND

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Several representatives of the National Federation of Blind-men are on fast-unto-death in front of the residence of Prime Minister's house in regard to the solution of their job problems. The Government gave various assurances but did not fulfil them. Even the peaceful rally was subjected to police lathi charge on 18th of March, 1980. The Prime Minister herself gave them assurances to meet their problems within three months, but since nothing has been done, they are left with no other option but to go on hunger strike. They have submitted their memorandum. Their main demands are that all blind men who are registered with Special Employment Exchange for one year or more should immediately be given suitable jobs and a Commission should be set up to ensure the implementation of the above.

This is a human problem and the Government must give top priority to solve this problem.

I draw the attention of the Government and particularly the Prime Minister to fulfil their demands so that hunger strike should be withdrawn and blind men and women are assured of suitable jobs.